

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 3295 /11-सी-FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांक: मई 23, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- उ०प्र० एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद-अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायु में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/295/2021/एफ०सी०/54, दिनांक 29.04.2022, एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-4858/14-10-4, दिनांक 19.05.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने उपरोक्त पत्रांक-3999/14-10-4, दिनांक 28.03.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जोकि निम्नानुसार है:-

S.N.	EDS	Compliance/Reply
1-	As per DSS analysis some patches of Non Forest land in Purthiyawan village are felling in forest block. This needs to be clarified/rectified	इस बिन्दु के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पुरथियावां ग्राम की प्राप्त गैर वनभूमि के कुछ हिस्से वन खण्ड में काटे जा रहे हैं, कि स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं, के क्रम में अवगत कराना है कि प्राप्त गैर वन भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में क्षेत्रीय वनाधिकारी, हसनगंज की जांच आख्या से स्पष्ट किया गया था कि प्राप्त भूमि वन ब्लॉक से लगभग सटे हुए हैं जो गैर वनभूमि ही है। भारत सरकार द्वारा पुनः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, हसनगंज तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी, हसनगंज से पुनः आख्या चाही है। उपजिलाधिकारी, हसनगंज द्वारा अपनी दी गयी आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि दी गयी भूमि गैर वनभूमि है एवं उक्त भूमि को पूर्व में किसी परियोजना हेतु हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उनके द्वारा दी आख्या में पुरथियावां में दी गयी भूमि के गाटों का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित है (छायाप्रति संलग्न है)।
2-	As pre the site inspection report of DIG a Food Plaza is proposed in village Nawadabad Garant of Unnao. The option of	इस बिन्दु के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि Technical Cell of UPEIDA along with representatives of DPR Consultants has visited the location to explore the possibility of shifting Wayside Amenity (Food Plaza) Area to another place to avoid Forest

	locating this Food Plaza at adjacent non forest land needs to be explored.	Land. The Team reached to the conclusion that shifting Wayside Amenity (Food Plaza) is unavoidable for the following reasons: • It is essential to provide Wayside Amenity (Food Plaza) at the Junction of Agra-Lucknow Expressway & Ganga Expressway crossing at village-Nawabad Grant of District-Unnao. • The Wayside Amenity (Food Plaza) Area is prescribed in between Double Trumpet Interchange connecting Agra-Lucknow Expressway & Ganga Expressway to facilitate maximum Commuters. • The Expressway is about 14.3 m above ground level, the permissible gradient (as per specifications) has to be provided considering existing canal at one side and the proposed flyover on other side of the proposed Wayside Amenity (Food Plaza) Area. The resultant ramps fall at the same point on ground, where the Wayside Amenity (Food Plaza) Area is proposed. As per directions of Hon'ble members of REC, UPEIDA/ User Agency will develop the adjacent area as a green belt. The report of the Senior C.G.M. and head of technical cell of Ganga Expressway is hereby annexed and uploaded on Parivesh Portal.
3-	As per the site inspection report of DIG alignment in Majhkhoria village is bisecting the entire forest block. User agency informed that the alignment cannot be changed now since the entire process of awarding the contract has been completed. State Government is advised to issue orders to all concerned agencies directing them to involve the state Forest Department (local DFO) during the finalization of alignment so as to avoid any discrepancies in future.	इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया उ०प्र० शासन स्तर से सभी संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों को संरेखण को अंतिम रूप देने के दौरान प्रभागीय वनाधिकारियों को शामिल करने का निर्देश देना चाहें। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की विसंगतियों से बचा जा सके।

4-	A committee should be constituted at the level of Nodal officer to access the quality of plantation in few of such cases where the plantations are carried out by user agencies.	इस संबंध में कार्यवाही उ०प्र० शासन स्तर से की जानी है, जिस हेतु भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/06/295/2021/FC/49, दिनांक 18.05.2022 की प्रति संलग्न है।
----	--	--

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3295 / 11-सी-FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ़।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र०, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।

18/23/5/22

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।





